

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अर्न्तगत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अर्न्तगत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 12.11.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान पतारसी सुरागरसी में मु0अ0सं0 375/2025 धारा 64(2)(k) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त अरविन्द पुत्र जयमंगल निवासी दतौडा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. अरविन्द पुत्र जयमंगल निवासी दतौडा थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 375/2025 धारा 64(2)(k) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्या थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
2. का0 सावन कुमार थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
3. का0 मो0 लइक थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
4. चालक का0 रविकान्त यादव थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अर्न्तगत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अर्न्तगत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 12.11.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड भीटी के पास से मु0अ0सं0 387/25 धारा 132(2), 87 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त किशन उर्फ कृष्णा पुत्र हीरा साहनी थाना निवासी निजामुद्दीनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. किशन उर्फ कृष्णा पुत्र हीरा साहनी थाना निवासी निजामुद्दीनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 387/25 धारा 132(2), 87 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

एक शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी का 01 अदद ट्रैक्टर बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस को दिनांक 12.11.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुस्किया हाईवे के पास से मु0अ0सं0 548/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस से संबंधित अभियुक्त नाथुराम पैकरा पुत्र चैन सिंह पैकरा निवासी ग्राम तिलदा थाना लवन, जिला बैलुदा बाजार छत्तीसगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद ट्रैक्टर जिसपर नम्बर UP 54 AY 9981 अंकित है को बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा दिनांक 10/11.11.2025 की रात्रि में एक आइसर ट्रैक्टर नम्बर U.P 54 AY 9981 को ग्राम पकड़ी बुजुर्ग थाना घोसी निवासी संजय सिंह पुत्र अमरजीत सिंह के ईंट-भट्टे जो ग्राम जमालपुर विक्कमपुर में है को चुराकर छत्तीसगढ़ ले जाने की बात बतायी गयी। ट्रैक्टर के चोरी होने के सम्बन्ध में वादी श्री संजय सिंह पुत्र अमरजीत सिंह नि० पकड़ी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा थाना घोसी पर मु0अ0सं0 548/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस पंजीकृत

कराया गया था, उक्त प्रकरण में धारा 317(2) बी.एन.एस की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. नाथुराम पैकरा पुत्र चैन सिंह पैकरा निवासी ग्राम तिलदा थाना लवन, जिला बैलुदा बाजार छत्तीसगढ़ उम्र करीब

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 548/2025 धारा 303(2)/ 317 (2) बी.एन.एस थाना घोसी जनपद मऊ

बरामदगी विवरण

1. बरामद 01 अदद चोरी गया ट्रैक्टर (U.P 54 AY 9981) अंकित है।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम का –

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 लालमोहन शास्त्री थाना घोसी जनपद मऊ।
3. उ0नि0 सूरज सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
4. का0 धर्मपाल भारती थाना घोसी जनपद मऊ।
5. का0 दिग्विजय पासवान थाना घोसी जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹55,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय ASJ/ spl(j) पास्को कोर्ट , जनपद मऊ द्वारा दिनांक 12-11-2025 को मु0अ0सं0 443/2012 धारा 302 , 201 भादवी मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त अरुण कुमार मौर्य पुत्र चंद्रदेव मौर्य निवासी फरीदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास कारावास की सजा एवं ₹55000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री रामचन्द्र चौहान शाशकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री राजित राम यादव ,तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

गुमशुदा/खोए कुल 11 अदद मोबाइल फोन लगभग 147,000 (एक लाख सैतालिस हजार) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना सरायलखन्सी में गुमशुदा 11 अदद मोबाइल फोन लगभग 1,47,000 (एक लाख सैतालिस हजार) रुपये पीडित प्रिन्स सिंह, अखिलेश कुमार, संदीप चौहान, रंजीत, चन्दन, अजीत कुमार, मेघनाथ, बृजेश सिंह, बेचन कुमार, राजेश, संतारा जनपद मऊ । बरामद कर उनके स्वामी को सुपुर्द किया गया। आवेदकों द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. प्र०नि० पंकज पाण्डेय थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
2. उ०नि० नयन वर्णवाल थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
3. म०उ०नि० कोमल कसौधन थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
4. म०का० शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
5. क०आ० आशीष द्विवेदी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
6. का० धर्मेन्द्र पुष्पाकर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।